

प्रेस नोट दिनांक 22.11.2025

प्रेस नोट दिनांक-22.11.2025

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण/दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मंजीत सरोज को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का राम प्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/70 (2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मंजीत सरोज पुत्र रामफेर सरोज उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम राय असकरनपुर बंतरिया थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत आजाद नगर चौराहे की नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मंजीत सरोज पुत्र रामफेर सरोज उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम राय असकरनपुर बंतरिया थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का राम प्रकाश थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 22.11.2025

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया , लूट के 1950/- रुपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा लूट के 1950/- रुपये के साथ 01 अभियुक्त आदर्श त्रिपाठी को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत नौहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया

उक्त घटना में इससे पूर्व पुलिस मुठभेड़ में तमंचा-कारतूस व लूट की नगदी के साथ 01 अभियुक्त मान सिंह को गिरफ्तार किया गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.09.2025 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम द्वारिकापुर में 01 व्यक्ति से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसे व मोबाइल छीनकर भाग गये। उक्त प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 157/25 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति नाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इससे पूर्व उक्त घटना में दिनांक 17.09.2025 को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत शहीद गेट शिवसत से इंजीनियरिंग कालेज के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 01 अभियुक्त मान सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 31 वर्ष के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस व लूट का नकदी, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री

मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री अंकुर कैथवास के नेतृत्व में 01 नवंबर 2025 रमिल कुमार मय हमराह हे का 0 सुभाष विश्वकर्मा व का जगदीश प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत नौहर पुल के पास से मु 0 अ 0 सं 0 157/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त आदर्श त्रिपाठी पुत्र श्यामनारायण त्रिपाठी निवासी सराय नानकार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को लूट का 1950 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16.09.2025 को मैं अपने साथियों मान सिंह पुत्र अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अभिषेक सिंह पुत्र सुनील सिंह व अंकित सिंह पुत्र भैयाराम निवासी गण ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ जो हमारे दोस्त हैं। हम चारो लोग मिल कर दारिकापुर बाग मे एक ब्यक्ति से 20000/ रु व मोबाइल छीन कर मोटरसाइकिल से भाग गये थे। लूट के पैसे बाटने पर मेरे हिस्से में 5000 रु था, जिसमे 3050 /-रु खर्च हो गया तथा मेरी जेब से 1950 रु बरामद हुए हैं। वह उसी ब्यक्ति से लूटे गये पैसे हैं तथा लूटी गयी मोबाइल को मान सिंह ने राह चलते हुए अज्ञात व्यक्ति को औने पौने दाम में बेच दिया था। लूट की घटना के बाद हम चारो भाग गये थे तथा मानसिंह के पकडे जाने की मुझे जानकारी होने पर मैं भी भाग गया था। पुलिस मुझे तलाश कर रही थी आज मेरे घर पर तिलक का कार्यक्रम था उसी में शामिल होने घर आया था शामिल होने के बाद पकडे जाने के डर से वापस जाने हेतु गाडी पकडने जा रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आदर्श त्रिपाठी पुत्र श्यामनारायण त्रिपाठी निवासी सराय नानकार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी-

लूट का 1950 बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह हे का0 सुभाष विश्वकर्मा व का जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 22.11.2025

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 06.10 ग्राम नाजायज स्मैक व 02 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर चौराहे से सरुआ जमेठी के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 निर्मल शर्मा, हे का0 रमेश कुमार, का0 अजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर चौराहे से सरुआ जमेठी के पास से 02 अभियुक्तों, 1. आमीर खान उर्फ लवी पुत्र अनवर रजी निवासी ग्राम वार्ड नं0-7 पाण्डेय का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष के पास से 06.10 ग्राम नाजायज स्मैक व 2. मो0 अता खान पुत्र रुकनूद्दीन निवासी ग्राम अतहर टंकी के पीछे नई बस्ती थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष के पास से 02 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त आमीर खान उर्फ लवी उपरोक्त के पास से 06.10 ग्राम नाजायज स्मैक की बरामदगी के संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-324/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्त मो० अता खान उपरोक्त के कब्जे से 02 जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कुण्डा में मु०अ०सं० - 325/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आमीर खान उर्फ लवी पुत्र अनवर रजी निवासी ग्राम वार्ड नं०-7 पाण्डेय का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष।
2. मो० अता खान पुत्र रुकनूद्दीन निवासी ग्राम अतहर टंकी के पीछे नई बस्ती थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- आमीर खान उर्फ लवी पुत्र अनवर रजी निवासी ग्राम वार्ड नं०-7 पाण्डेय का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 345/2015 धारा 504,506,354ख भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु०अ०सं०-324/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

02- मो० अता खान पुत्र रुकनूद्दीन निवासी ग्राम अतहर टंकी के पीछे नई बस्ती थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 339/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु०अ०सं० - 325/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. अभियुक्त मो० अता खान के कब्जे से 02 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद।

02. अभियुक्त आमीर खान उर्फ लवी के कब्जे से 06.10 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अंकित सिंह मय हमराह उ०नि० निर्मल शर्मा, हे का० रमेश कुमार, का० अजीत यादव, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 22.11.2025

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 02 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त चन्दिका शुक्ला पर जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत नहर ग्राम पूरे शुक्लान के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ०नि० मो० युनुस मय हमराह का० हर्षवर्धन व का० रामप्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत नहर ग्राम पूरे शुक्लान के पास से 01 अभियुक्त चन्दिका शुक्ला पुत्र स्व० ज्ञानचन्द्र शुक्ला निवासी पूरे शुक्लान तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को 02 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 02 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कुण्डा में मु०अ०सं० - 326/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. चन्दिका शुक्ला पुत्र स्व० ज्ञानचन्द्र शुक्ला निवासी पूरे शुक्लान तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

चन्द्रिका शुक्ला पुत्र स्व० ज्ञानचन्द्र शुक्ला निवासी पूरे शुक्लान तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 169/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु०अ०सं० 191/24 धारा 310(2)/311/317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु०अ०सं० 198/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

04. मु०अ०सं० 385/24 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधि० थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

05. मु०अ०सं० - 326/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

02 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० मो० युनुस मय हमराह का० हर्षवर्धन व का रामप्रताप सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 22.11.2025

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कुण्डा के उ०नि० निर्मल कुमार शर्मा मय हमराह हे०का० शिशुपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/
तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु०सं०-464/2019 बनाम नौशाद अहमद धारा- 128
द०प्र०सं० से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी नौशाद अहमद पुत्र अनीस अहमद निवासी ग्राम मवई कला
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नौशाद अहमद पुत्र अनीस अहमद निवासी ग्राम मवई कला थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।